अनुदान संख्या 70 – कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
GRANT No. 70 - MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged-*		*4,29,00*	*19,67*	*-4,09,33*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*4,05,75*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	1438,68,00	1438,81,00	1323,05,60	-115,75,40
पूरक	Supplementary	13,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				88,28,20
पूंजीगतः	**Capital:**				
प्रभारित–	*Charged-*		*2,15,00*	*48,75*	*-1,66,25*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*1,66,25*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	81,88,00	106,97,00	102,53,98	-4,43,02
पूरक	Supplementary	25,09,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				2,18,97

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *₹379.00 लाख* का *विनियोग* एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *₹379.00* lakhs remained wholly unutilized under one head.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2052" सचिवालय – सामान्य सेवाएं	Major Head "2052" Secretariat - General Services				
मू.	O.	14217.00			
पू.	S.	1.00	12281.00	11601.64	-679.36
पु.	R.	-1937.00			
मुख्य शीर्ष "2051" लोक सेवा आयोग	Major Head "2051" Public Service Commission				
मू.	O.	28612.00	14280.46	14257.34	-23.12
पु.	R.	-14331.54			
मुख्य शीर्ष "2055" पुलिस	Major Head "2055" Police				
मू.	O.	64176.00	70851.33	69363.34	-1487.99
पु.	R.	6675.33			
मुख्य शीर्ष "2070" अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Major Head "2070" Other Administrative Services				
मू.	O.	26177.00			
पू.	S.	1.00	26522.31	26087.35	-434.96
पु.	R.	344.31			

(I) ₹100.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2051" – "कर्मचारी चयन आयोग – स्थापना" – ₹14378.26 लाख की बचत (₹28556.25 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परीक्षा का आयोजन न किए

(I) Provision of ₹100.00 lakhs remained wholly unutilised under one head.

(II) Under Major Head "2051"- "Staff Selection commission -Establishment" - saving of ₹14378.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹28556.25

जाने, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायलय के अंतर्गत मुकदमा चलाए जाने के कारण हुई।

lakhs) was due to non-conduction of examination, matter being under litigations with Hon'ble Supreme Court of India.

(III) मुख्य शीर्ष "2052" – "सचिवालय – कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय" – ₹2500.50 लाख की बचत (जुलाई, 2018 में प्राप्त किए गए ₹1.00 के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹13980.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और ई–मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर न होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2052" - "Secretariat - Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions"- saving of ₹2500.50 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹13980.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in July, 2018) was due to non-filling up of vacant posts and non-signing of Memorandum of Understanding under e- Human Resource Management System.

(IV) मुख्य शीर्ष "2070" – "अन्य व्यय–प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की स्कीम" – ₹692.25 लाख की बचत (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सिविल सेवा दिवस का आयोजन कार्यक्रम के अनुसार न होने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "2070"- "Other Expenditure - Scheme of Department of Administrative Reforms and Public Grievances" - saving of ₹692.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs) was due to Civil Services Day not being conducted as per schedule.

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹574.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्ष "2070" – "प्रशिक्षण – भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को अनुदान" के अंतर्गत दिसंबर, 2018 में ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तिक अधिक व्यय, ₹573.00 लाख था।

3.(I) The above savings were partly (₹574.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in December, 2018 under Major Head "2070" - "Training - Grant to Indian Institute of Public Administration". Actual excess, however, was ₹573.00 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2055" – "आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता – केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई – ₹5242.43 लाख का अधिक व्यय (₹63961.85 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यपालक स्टाफ को प्रतिपूरक अवकाश भत्ता (13वें माह का वेतन) संबंधित अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2055" - "Criminal Investigation and Vigilance - Central Bureau of Investigation" - excess of ₹5242.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹63961.85 lakhs) was due to requirement of additional funds towards Compensatory Holiday Allowance (13th Month salaries) to the executive staff.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, *₹50.00 लाख* का *विनियोग* एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

4. In the *charged* portion of the capital section of the grant, *appropriation* of *₹50.00 lakhs* remained wholly unutilised under one head.

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹433.02 लाख) जुलाई, 2018 और दिसंबर, 2018 में प्राप्त किए गए ₹2509.00 लाख के पूरक अनुदान का 18 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 4 प्रतिशत थी।

बचतें निम्नानुसार हुईं :–

(I) ₹1.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

5. In the voted portion of the capital section of the grant, the overall savings (₹443.02 lakhs) constituted 18 percent of the supplementary grants of ₹2509.00 lakhs obtained in July, 2018 and December, 2018 and 4 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred as under:-

(I) Provision of ₹1.00 lakh remained wholly unutilised under one head.